झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–125 / 2019

डॉ0 अमरेश्वर प्रसाद ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार, राँची
3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार, राँची
4. विशेष सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार, राँची
5. सचिव, कैबिनेट, झारखण्ड, राँची
6. महालेखाकार, झारखण्ड, राँची

..... विरोधी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए :श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता

राज्य के लिए :एस0सी0–III के ए0सी0

04 / 28.06.2019 याचिकाकर्त्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 5671 / 2017 की पुनःस्थापन चाहता है जो एक बैच केस से संबंधित मामलों के आदेश दिनांक 26.09.2018 को अनुल्लंघनीय समय के भीतर दोषों को दूर करने में विफलता के कारण खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता को ऐसा धारणा था कि त्रुटियों को पहले ही दूर कर दिया गया है, लेकिन रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 27 की टाईप की गई प्रति की आपूर्ति करने का एक त्रुटि शेष था। इस प्रकार, गलत धारणा के कारण टाईप कॉपी की आपूर्ति नहीं की जा सकी। हालांकि, याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति होगा, अगर रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, जिसमें उसकी गलती नहीं है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं। पार्टियों के निवेदनों और इस याचिका में याचित कारणों के मद्देनजर डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 5671 / 2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाय। बचे हुए त्रुटियों को एक सप्ताह के भीतर दूर कर दिया जाना चाहिए।

तद्नुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)